

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11875/3631

दिनांक :- 07-19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री आकांक्षा तिवारी [लिंक न. 11875] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर - [995] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 10/06/2019 से 26/06/2019 तक 17 दिवस

कुल 17 दिवस

उक्त कुल 17 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री आकांक्षा तिवारी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

35.7.19
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11875/3631

दिनांक :- 07-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री आकांक्षा तिवारी [11875] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसोपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

h
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)